



कार्यालय

फोन/फैक्स नं.- 01375-224233
E-Mail dfobarot@gmail.com
वन मित्र कॉल सेंटर- 9208008000

प्रभागीय वनाधिकारी, आपर यगृना वन प्रभाग, बड़कोट,
पंत्रांक- 1096 / 12-1 दिनांक, बड़कोट, अक्टूबर ०५ २०१८।

सेवा में,

वन संरक्षक,
यगृना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एन०एच० ९४ खरादी नगण्यांव मोटर मार्ग के किं०मी० ९ से वचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु १.३४६ हेतु वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सन्दर्भ-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की ई०डी०एस० क्वैरी ४वी./यू.सी.पी./०६/८६/२०१८/एफ.सी./१२०९ दिनांक ११.०९.२०१८।

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव पर लगाई गई ई०डी०एस० क्वैरी का अवलोकन करने कृपा करें। विषयगत मोटर मार्ग पर लगाई गई आपत्तियों की निराकरण सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा अपने पत्रांक-७०९/पी०एम०जी०एस०वाई००/सि०ख० दिनांक २८.०९.२०१८ से इस कार्यालय को प्रेषित की है जिसकी आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है—

आपत्ति	आपत्ति निराकरण सूचना
1- Area naap land mentioned in component wise breakup is incorrect.	नाप भूमि का उल्लेख सही कर प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट १ में कर दिया गया है।
2- Digital map of proposed road is not authenticated by DFO	प्रस्तावित मोटर मार्ग से सम्बन्धित Digital map प्रतिहस्ताकार कर अपलोड कर दिया गया है।
3- The following documents are required to be submitted in original-	(i) Justification for locating से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट १ में अपलोड कर दिया गया है। (ii) पार्ट २ जो प्रभाग से सम्बन्धित है की हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। शेष पार्ट ३ जो आपसे सम्बन्धित है, पार्ट ४ जो नोडल स्तर से सम्बन्धित है तथा पार्ट ५ जो शासन स्तर से प्रेषित किया जाना है। (iii) Administrative approval से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट १ में अपलोड कर दिया गया है।
4- RF & Civil soyal land mentioned in Part II but Van panchayat land is not smentioned in land schedule.	वन पंचायत भूमि का उल्लेख पार्ट २ में यथा स्थान कर दिया गया है।

5- NPV density is mentioned as 0.4 in hard copy where as shown 0.2 in online Part II	प्रभाग की वर्तमान प्रवन्ध योजना के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र का हरियाली घनत्व 0.6 है परन्तु जिस समरेखण से मोटर मार्ग प्ररतावित है उसका हरियाली घनत्व 0.2 पाया गया है जिसके अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि आकलित की गई है। सम्बन्धित प्रमाण पत्र अनलाइन पार्ट 2 के पैरा ए में अपलोड कर दिया गया है।
6- Administrative approval is not found uploaded.	Administrative approval से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दिया गया है।
7- All documents are submitted in color photo copies.	सभी documents की color photocopies प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 में अपलोड कर दी गई है।
8- CA area proposed is found to the partly in riverbed as per KML file.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि को उपयुक्त पाया गया है जिसे पार्ट 2 में को०एम०एल० फाईल के रूप में अपलोड किया गया है।
9- SIR is not found uploaded at correct place.	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पार्ट 2 में यथा स्थान अपलोड की गई है।
10- Short narrative of the project is not clear in online Part I	Short narrative से सम्बन्धित सूचना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा पार्ट 1 के पैरा ए के (iii) में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय
 (जो०पी० सिंह)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF (For the forest land to be diverted under FCA)

A proposal has been received by this office from Ex. Eng. P.M.G.S.Y. Irrigation Division Purola Uttarkashi (Uttarakhand) for diversion under FCA-1980 of 1.346 ha of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of visit NH 94 Kharadi nagangaon km 9 to Bachangaon moter road. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ..17-01-2018

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Other forests measuring 1.346 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.2 part-I is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

Whhether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If,so the details there of :- No

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important moument is located in the area, of, so the details thereof with NOC from competent authority, if required :- No

- a) The user agency has not violated the provision of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started in reserved forest without proper sanction. The work has been started in the nap land but at present no work is being done. No
- b) As such, recommendation is been provided.

Recomended for sanction

(Signature)

Place :- Barkot

Date :- 17-01-2018

Name (J.P. Singh)

Designation.....

Office Seal प्रभागीय वनाधिकारी


N.B

- State the purpose for which the forest land is proposed to diverted. नुना वन प्रभाग
 Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dartert 16-10-2000 from ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involvion less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more the 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.

जीयोरेफेरेन्स मैप – जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत एन0एच0–94 से खरादी–
नगणगांव–के किमी 0 9.00 से बचाणगांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
(लम्बाई 4.3 किमी)

0 0.5 1.0 2.0 Km
Scale - 1:15,000



एनोपी०वी० की धनराशि का आंकलन

परियोजना का नाम— परियोजना का नाम— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत एनोएच० ९४ खरादी नगांगाणगांव मोटर मार्ग के कि०मी० ९ से बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण हेतु १.३४६ हेठो वन भूमि का हस्तातरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या— ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक— ०५.०२.२००९ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एनोपी०वी० की देयता निम्नानुसार है।

1. ईको वलास श्रेणी	V
2. हरियाली का घनत्व	0.2
3. एनोपी०वी० की दर प्रति हेठो	657000.00 रु०
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	१.३४६ हेठो
5. कुल देय एनोपी०वी० की धनराशि	8,84,322.00

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर समुन्नत वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7	परियोजना स्कीम का रथान	प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....
		प्रधानमंत्री ग्राम राडक योजना के अन्तर्गत एनोएचो 94 खरादी नगाणगांव के कि०मी० ७से वचाणगाव मोटर मार्ग निर्माण हेतु (लम्बाई ४.३० कि०मी०) १.३४६ है० वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के तहत गेर वानकी कार्य हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड पुरोला को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/सघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, वडकोट।
(iv)	यनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	१.३४६ है०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन मसालगाव ४वी- ०.८२२ है० सिविल सोयम भूमि ग्राम खण्ड एवं वचाणगांव-०.३३२ है० वन पंचायत भूमि- ०.१९२ है० कुल १.३४६ है०
(vi)	हरियाली का घनत्वा	०.४
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिणामना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-२मीटर पर परिणाम और एफ०आर०एल०-४ मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल ३४ वृक्ष वाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्याकान सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षित टिप्पणी।	इस बावत प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा दिया गया प्रमाण के अनुसार प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल से वन सीमा की दूरी ०.५० कि०मी० के अन्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हॉ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हॉ तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारंरपरिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा भाग-१ कालन-२ में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र व्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ मो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का वृक्षारोपण हेतु 4.20 लाख रु0 प्रावक्लन प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैंप।	उपरोक्तानुसार
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां। कार्यान्वयन ऐजेन्सी-स्वयं वन विभाग समय-उच्चरस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0। रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण हेतु 4.20 लाख रु0 का प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है।
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रवन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (रांगन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 5.657 लाख रु0। प्रावक्लन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित कर प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालाम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्य विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ सलग्न किया गया है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	801600.00 है0
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	695783.35 है0
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 101 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्रफल 150.6205 है0
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	क- 270.255 है0 ख- -
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर.....	क- 34.27 है0 ख- 190.35 है0
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17-1-2018 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक 17-01-2018

स्थान बडकोट

(जोधपुरी सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)